## **Government College Hostel**

Serial No.

Principal

## ADMISSION FORM FOR HOSTEL

(To be filled in Duplicate) FOR OFFICE USE ONLY Affix your Passport size Name of Hostel ..... Photograph Category \_\_\_\_\_ Aadhar No. Date of Admission ..... Fee Receipt No. Name of the Student Date of Birth ..... (In Capital letters) Name of father/Mother Guardian ..... Occupation ..... 3 (In Capital letters) Father's Annual Income 5. 6. b) Correspondence Address ..... Local Guardian's (Res.) ...... Tel No. ..... Address (Office) Tel No. 1......Relation..... 2 Relation of Relatives who will NOTE: Visitors allowedx will include Father, Mother, Sister, Brother, They will have to submit their Photographs which will be duly attested by warden: The Visiting day will be Saturday & Sunday. 10. Have you been in the Hostel before this? Yes/No is Yes, give details: Information about the last class passed. Marks Name of the University Board Result Obtained Percentage Name of Exam Year Institution out of (Attested copies of all certificate and character certificate must be attached) I hereby that the information given above is true. I further My son/daughter/ward is joining the hostel with my declare that I have carefully read the rules and regulations as given in the hostel Prospectus and under taken to I shall be responsible for his/here hostel behaviour. abide by them (iii) I shall be responsible for payment of his/her hostel fees and other dues on due dates. Student's Signature Father's/Guardian's Signature Admit Recommended

Warden's Signature

Date

Days	1	l II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Monday	-							
Tuesday		1.		-0.0		1		
Wednesday								
Thursday	(4855)	Fig. acco	Acceptance	Che di su	100	2		5.30.00
Friday	10/19	2					fas	office
Saturday								

## छात्रावास के नियम

 छात्रावास में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र निर्धारित फार्म पर भर कर देना होगा। प्रवेश शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही दिया जायेगा। योग्य तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 10 प्रतिशत स्थान सुरक्षित हैं।

- 2. प्रत्येक विद्यार्थी के लिए भोजनालय में भोजन करना अनिवार्य है विद्यार्थी को कम से कम 45 खुराक (Diets) के पैसे देने होंगे। जो विद्यार्थी प्रात: काल या दोपहर का भोजन करेगा उसे पूरे दिन की खुराक के पैसे देने होंगे। किसी कारणवश कॉलेज लगातार आठ दिन से अधिक बन्द रहता है तो उस मास 30 दिना तक नियम लागू नहीं होगा। भोजन का व्यय (Mess Charges) प्रति मास 10 तारीख तक चुकाया जाना आवश्यक है। भोजन का भूगतान आगामी मास की दस तारीख तक हो जाना चाहिए वरना दो रूपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना बीस तारीख तक और बीस तारीख के बाद पांच रूपया प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगेगा। मास के अन्त तक खर्च का भुगतान न होने पर छात्रावास का प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा और खर्च का भुगतान प्रतिभूति की राशि से कर दिया जाएगा। विद्यार्थी का नाम काट दिया जाएगा और उसके विरूद्ध अनुशासनात्मर कार्यवाही की जाएगी।
- छात्रावास में नशीले पदार्थ का सेवन नितात वर्जित है। ऐसा करने वाले विद्यार्थी को छात्रावास से तत्काल निकाल दिया जाएगा।
- 4. छात्रावास में प्रवेश के इच्छुक सभी छात्र/छात्राओं को प्रवेश से समय अपने माता-पिता/अभिभावक को साथ लाना होगा। छात्राएं अपने स्थानीय अभिभवाक को भी साथ लाए। उन्हें इन सबके छायाचित्र भी कॉलेज में जमा कराने होंगे और केवल वे ही रविवार को 12.00 से 2.00 बजे मिल पार्थेंगे।
- िकसी भी विद्यार्थी के बिना अनुमित के या विशेष कारण से छात्रावास से लगातार 7 दिन तक अनुपस्थित रहने पर नाम काट दिया जायेगा।
- 6. किसी भी विद्यार्थी को साधारणतया अपने पास अतिथि रखने की अनुमित नहीं दी जाएगी। छात्रावास के भवन, फर्नीचर तथा अन्य समान को हानि पंहुचाने वालों को हानि की क्षतिपूर्ति करनी। पड़ेगी तथा उन्हें दण्ड दिया जाएगा। विद्यार्थी अपने सामान की रक्षा के लिए स्वयं उत्तरदायी है।
- 7. छात्रावास से अवकाश प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि स्वयं विद्यार्थी अधीक्षक को आवेदन पत्र दें।
- 8. विद्यार्थी छात्रावास के सेवकों से सद्व्यवहार करें। यदि किसी सेवक के विरूद्ध कोई शिकायत हो तो उसकी सूचना अधीक्षक को दें।
- विद्यार्थी को चाहिए कि वे कोई ऐसा कार्य न करें। यदि जिससे दूसरों की पढ़ाई में विघ्न पड़ता हो।
- 10. कमरें में प्रैस, हीटर, बिजली की राइ आदि का प्रयोग वर्जित है। इनका प्रयोग करने पर 100 रू का जुर्माना किया जायेगा। सरकारी पंखे का किराया साढ़े पांच रूपये प्रति मास होगा। बिजली के पंखे तथा बल्ब व ट्यूब के अतिरिक्त बिजली के किसी प्रकार के उपकरण का प्रयोग करना तथा बिजली का दूरूपयोग करना मना है। कमरे से बाहर जाने पर बिजली के उपकरण बन्द कर दें। बिजली बिल विद्यार्थी स्वयं वहन करेंगे।
- 11. छात्रावास में केवल शाकाहारी भोजन का ही प्रबन्ध होगा।
- 12. छात्रावास अधीक्षक द्वारा निर्धारित समय पर प्रतिदिन हाजिरी ली जाएगी। अत: उस समय हाजिर होना अनिवार्य है।
- 13. वार्षिक परीक्षा समाप्त होने पर चौबीस घंटे के अन्दर-अन्दर छात्रावास छोड़ना होगा।
- 14. महाविद्यालय व छात्रावास अधीक्षक की अनुमति के बिना आंबटित कक्ष को स्वेच्छा से नहीं बदल सकता है।
- 15. कोई भी छात्र-छात्रावास अधीक्षक की अनुकृति के बिना आबंटित कक्ष को स्वेच्छा से नहीं बदल सकता है।
- 16. छात्रों में फूट व विद्वेषभाव उत्पन्न कर सौहार्दपूर्ण वातावरण को दूषित करने छात्र को तुरन्त निष्कासित कर दिया जाएगा।
- 17. छात्रावास के अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमित के बिना छात्र किसी भी प्रकार की सभा, कार्यक्रम व आयोजन नहीं कर सकते है।
- 18. छात्रावास में 100 वॉट से अधिक वॉट वाले बल्ब का प्रयोग नहीं होगा।
- 19. छात्रावास शुल्क, बिजली खर्च व भोजन व्यय अदा करने में ढिलाई/अनियमितता बरतने वाले गत वर्ष के छात्र (Old Student) को वर्तमान सत्र में छात्रावास में प्रवेश नहीं मिलेगा।
- 20. छात्रावास में लाठी, डंडा, सरिया, हॉकी स्टिक (हॉकी के खिलाड़ियों के सिवाय), साईकिल चैन, चाकू आदि घातक व धारदार हथियार रखना सख्त मना है। उल्लंघनकर्ता को छात्रावास से निष्कासित कर दिया जाएगा।
- 21. उपरोक्त नियमों में से किसी भी नियम/नियमों का उल्लंघन करने वाले छात्र को दंडित/छात्रावास से निष्कासित कर दिया जाएगा।
- 22. अपने कमरे में किसी अतिथि या मित्र को ले जाने की अनुमति नहीं है।
- 23. अभिभवाकों की लिखित अनुमित बिना छात्राएं रात को बाहर नहीं जा सकर्ती।
- 24. छात्राएं कॉलेज के पश्चात् सीधी छात्रावास आयेंगी और उन्हें खाली पीरियड में भी कॉलेज से बाहर जाने की अनुमित नहीं होगी।
- 25. छूट्टी से वापिस लौटने पर छात्रावास में प्रवेश सायं 4 बजे तक ही दिया जायेगा और उसी समय छुट्टी पत्र भी जमा करना होगा।
- 26. बुधवार को छात्राएं लिखित अनुमित से दो घण्टे के लिए बाहर जा सकती हैं।
- 27. रविवार और छुट्टी के दिन छात्राएं बाहर नहीं जायेंगी।

विद्यार्थी हस्ताक्षर